भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *127
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

इंडसफूड 2025

***127. श्री तापिर गाव:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडसफूड 2025 के आठवें संस्करण से देश में कृषि पद्धतियों को उन्नत बनाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी;

(ख) क्या भारतीय कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रोत्साहन या कार्यक्रम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इंडसफूड 2025 से भारतीय खाद्य और पेय पदार्थ उद्योग तथा वैश्विक व्यापार संबंधों पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

13 फरवरी , 2025 को "इंडसफूड 2025" के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या *127 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): इंडस फूड 2025 का 8 वां संस्करण भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) द्वारा 8 से 10 जनवरी, 2025 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के तहत 6.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ समर्थन दिया गया । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आहार और इंडस फूड आदि जैसे निवेश संवर्धन कार्यक्रम भारतीय खाद्य एवं पेय कंपनियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और दुनिया भर के आयातकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)", केंद्रीय क्षेत्र "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" और केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)" योजना को लागू कर रहा है। मंत्रालय देश भर में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परियोजनाओं का चयन समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर सहायता के लिए किया जाता है।

मंत्रालय ने 31.12.2024 तक 1646 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी परियोजना लागत 31,858.53 करोड़ रुपये है, जिसमें पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 9,110.08 करोड़ रुपये की अनुमोदित अनुदान सहायता/सब्सिडी और 22,748.45 करोड़ रुपये का निजी निवेश शामिल है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 31.12.2024 तक कुल 1,16,148 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है और 1042.06 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों के 3,13,218 सदस्यों को समर्थन दिया गया है।

31.12.2024 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 171 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और अब तक कुल 1084.01 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है।

(घ): इंडसफूड आदि जैसे निवेश संवर्धन कार्यक्रमों से व्यापार को बढ़ावा मिलने तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

*****